

Schedule XII Form No. 74

Notice No. **Account No.** **Dated** **L.L.R. fee**
M.O.O.
Form No. 2 फार्म नं० 2
(इस फारम के साथ फार्म नं० 3 मिला दिया गया है 1) Account No. **Dated**
P. fee

रेक्ट 8 सन् 1885 ई. को दफे 12, 18 और 26 ए के मुलाबिक नोटिस (देखो कायदे 24.1)

जहाँ एक ही जमींदार या सबका एक ही एजेंट या एक ही मैनेजर हो वहाँ इस युगले को काट दिया जायेगा। जब एक से ज्यादा जमींदार हो तो यह लफज रहेगा।

इसकी खानापुरी उसी हालत में की जायेगी जबकि एक ही जमींदार या सबका एक ही एजेंट या एक ही मैनेजर हो और नीचे का हिस्सा काट दिया जायेगा।

इसकी खानापुरी उसी हालत में की जायेगी जबकि एक से ज्यादा जमींदार हों और सबका एक ही एजेंट या एक ही मैनेजर न हो।

बनाम कलक्टर मुकाम अवरूए मेहरबानी यह नोटिस बिहार सरकार साकिनान पर एक्ट 8 सन् 1885 ई० को दफे 12, 18 और 26 ए के मुलाबिक नोटिस (देखो कायदे 24.1) रूपया मनीआर्डर फीस मू०..... रूपया और इस नोटिस को रजिस्ट्री कराकर डाक से भेजने और पहुँचाने की रसीद मंगाने के लिए मू०..... रूपया खजाने में जमा कर दिया गया है और उसका चालान इसके साथ नथी किया हुआ है।

बनाम अंचल रजिस्ट्री ऑफिसर आपको इतिला दी जाती है कि दरमियानी हक या शरह मुकरर की रैयती जोत या कायमी जोत (जैसी हालत हो) जो नीचे बताया हुआ है और जिसके आप जमींदार बताये जाते हैं उसका इत्काल रजिस्ट्री हो गया है और जमींदार से रजिस्ट्रेशन फीस मू०..... रूपया आपको मनीआर्डर से भेजी जाती है। अगर आप इस रुपये को लेना मंजूर नहीं करेंगे तो नोटिस के तामील होने की तारीख से तीन साल तक कलक्टर के ऑफिस में यह रूपया जमा रखा जायेगा। इस दरमियान में आपको दरखास्त देने पर वह रूपया आपको दिया जायेगा या आपको मालगुजारी के हिसाब में मुत्किल कर दिया जायेगा। अगर इस नोटिस के तामील होने की तारीख से तीन साल के अंदर आप इस रुपये का दावा नहीं करेंगे तो वह ब-हके सरकार जब्त हो जायेगा। आपको इतिला दी जाती है कि उस रैयती कब्जे का इत्काल जिसे दरमियानी हक या शरह मुकरर की रैयती जोत कायमी जोत (जैसी हालत हो) बताया जाता है कि जैसाकी नीचे लिखा हुआ है और जिसके आप शरीक जमींदार बताये जाते हैं रजिस्ट्री हो गई है और यह कि जमींदार रजिस्ट्रेशन फीस मू०..... रूपया कलक्टर के ऑफिस में उस वक्त तक जमा रहेगा जबतक आप और आपके शरीकदार या कोई दूसरा आदमी जो आपकी ओर इख्तियार पाया हुआ हो उसके लेने के लिए दरखास्त न करें। यह रूपया आपके नाम जमा रहेगा दरखास्त देने पर आपकी ओर से शरीकदारों को दिया जायेगा या आपकी मालगुजारी के हिसाब से मुत्किल कर दिया जायेगा या मनीआर्डर से किसी आदमी के पास भेज दिया जायेगा जिसे आप और आपके शरीकदार दोनों चाहें। अगर इस नोटिस के तामील होने की तारीख से तीन साल के अंदर आप इस रुपये का दावा नहीं करेंगे तो वह व हके जप्त हो जायेगा।

महाल का तौजी नम्बर	महाल का नाम	3	4	5	6	7	8	जमींदार की रजिस्ट्रेशन फीस की रकम कैफियत	
								रु.	पै.
1	2	3	4	5	6	7	8	रु.	9 पै.
									10

जहाँ एक ही जमींदार या सबका एक ही एजेंट का एक मैनेजर हो तो यह बरह हक दिया जाये।

हुमम हुआ कि यह नोटिस मजबून शाखा जमींदार पर तामिल की जाय। पदाधिकारी

रजिस्ट्री ऑफिसर

चालान का सिलसिलेवार नम्बर	नोटिस का नम्बर	जमा करने वाले का नाम	नाम उस आदमी का जिस पर नोटिस तामील होगी	हर एक रसीद का तफसील मय रकम
1	2	3	4	5
				रु.
				पै.